न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 24 / 16

संस्थित दिनाँक-18.01.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- रामनरेश उर्फ नरेश पुत्र भारतसिंह कडेरा उम्र 29 साल
- भारत पुत्र रघुनाथसिंह कडेरा उम्र 57 साल
- कुलदीप पुत्र जयनारायण कडेरा उम्र 22 साल
- दिनेश पुत्र रघुनाथसिंह कडेरा उम्र 42 साल
 - मुकेश पुत्र जयनारायण कडेरा उम्र 21 साल
 - ग्ड्डीबाई पत्नी भारतसिंह कडेरा उम्र 52 साल निवासीगण ग्राम दिलीपसिंह का पूरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्रअभियुक्तगण

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 26.02.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 452, 324, 324 सहपिटत धारा 149 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि० 23.12.15 को सुबह करीब 6 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत ग्राम दिलीपसिंह के पुरा में फरियादी रामजीलाल जाटव के घर जो कि मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयुक्त होता था, उसमें कारावास से दण्डनीय अपराध फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से लाठी व सरिया लेकर प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया तथा फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मितकर उसके अग्रशरण में बचाने आए आहत रवि कुमार को घातक वस्तु लोहे के सरिया से सिर में चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहतगण का अभियुक्तगण 2. से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 504, 323 सहपठित धारा 149, 148 एवं 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 324, 324 सहपठित धारा 149 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23.12.2015 को सुबह करीब 6 बजे फरियादी रामजीलाल अपने भाई गिर्राज एवं चचेरे भाई रिव के साथ घर के चूल्हे पर बैठकर ताप रहे

थे, तभी अभियुक्तगण हाथों में लाठी, सिरया लेकर घर के अंदर घुस आए और गाली देकर कहने लगे कि गौंडा (जानवर बांधने का स्थान) की जगह हमारी है। जब गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने लाठी, सिरया आदि से मारपीट की। पुष्पाबाई एवं भूपिसंह ने घटना देखी। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी। आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराए उपरांत अप०क० 289/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक, जब्ती कर जब्ती पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन प्रीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्तगण ने दि0 23.12.15 को सुबह करीब 6 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत ग्राम दिलीपसिंह के पुरा में फरियादी रामजीलाल जाटव के घर जो कि मानव निवास एवं संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयुक्त होता था, उसमें कारावास से दण्डनीय अपराध फरियादी को उपहित कारित करने के आशय से लाठी व सिरया लेकर प्रवेश कर आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किया ?

- 2. क्या दि0 23.12.15 को सुबह करीब 6 बजे आहत रिव कुमार को घातक वस्तु की कोई चोट थी, यदि हॉ तो उसकी प्रकृति क्या थी ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मितकर उसके अग्रशरण में बचाने आए आहत रिव कुमार को घातक वस्तु लोहे के सरिया से सिर में चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० विजय उटगेरकर अ०सा० ०1, रामजीलाल अ०सा०२, गिर्राज अ०सा० ३, रवि अ०सा० ४, श्रीमती पुष्पा अ०सा० ५ एवं भूपसिंह अ०सा० ६ को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. फरियादी रामजीलाल अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि दो साल पहले 6 बजे की बात है, वह, गिर्राज एवं चाचा का लड़का आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे तभी आरोपीगण आए और गौंडा की जगह को लेकर मुंहवाद करने लगे, बोले कि तुमने कण्डा क्यों थापे हैं। जब फरियादी ने कहािक यह जगह उनकी है तो आरोपीगण ने लातघूंसों से मारपीट कर दी जिससे उसे एवं आहत गिर्राज एवं रिव को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से देहाती नािलसी प्र0पी0 3 लेख किए जाने जिस पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। लगभग इसी प्रकार का कथन आहत गिर्राज

अ0सा0 3 एवं रिव अ0सा0 4 करते हैं, जो अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा गौंडा की जगह के संबंध में मुंहवाद करने और लातघूंसों से मारपीट करने का कथन करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में तीनों साक्षीगण अभियोजन के मामले का आरोप के संबंध में कोई समर्थन नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए। साक्षीगण ने रिपोर्ट प्र0पी0 3 के विनिर्दिष्ट बी से बी भाग तथा पुलिस कथन कमशः प्र0पी0 5 लगायत 7 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर अभियुक्तगण द्वारा उपहित कारित करने की तैयारी पश्चात् ग्रह अतिचार कारित किए जाने एवं घातक वस्तु लोहे के सिरया से आहत रिव को उपहित कारित किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं।

- 8. प्रकरण में स्वयं आहत रिव लातघूंसों से मारपीट किए जाने का कथन अपने मुख्य परीक्षण में करता है। सूचक प्रश्नों में अभियुक्त नरेश द्वारा सिया से उसके सिर में चोट पहुंचाए जाने का तथ्य लिखाए जाने से स्पष्ट इंकार करता है। प्र0पी0 3 की देहाती नालिसीकर्ता रामजीलाल अपने अभिसाक्ष्य में देहाती नालिसी के बी से बी भाग में अभियुक्तगण के उसके घर में लाठी, सिया लेकर घुस आने, गाली गलींच करने तथा कथित लाठी व सिया से मारपीट किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। देहाती नालिसी प्र0पी0 3 एवं पुलिस कथन सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते, उनका उपयोग कथनकर्ता के पूर्व कथन के रूप में लोप तथा विरोधाभासों को रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से स्वयं आहतगण के कथनों में पुलिस कथन प्र0पी0 5 लगायत 7 के संबंध में गंभीर विरोधाभास एवं लोप विद्यमान हैं। इस प्रकार से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।
- 9. प्रकरण में अन्य साक्ष्य के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि डा0 विजय अ0सा0 1 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि दिनांक 23.12.15 को वे मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उनके द्वारा प्र0आर0 किशनलाल द्वारा लाए जाने पर आहत रिव का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसमें एक फटा हुआ घाव आकार 4 सेमी0 गुणा 1/4 सेमी0 चमड़ी की गहराई तक सिर के मध्य भाग में स्थित था, जिसके एक्सरे की सलाह दी गयी थी। चोट सख्त व भौथरी वस्तु से 24 घण्टे के भीतर पहुंचाए जाने के संबंध में सुसंगत राय देते हुए रिपोर्ट प्र0पी0 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में प्रस्तुत प्रपी0 1 की रिपोर्ट से आहत रिव को किसी धारदार वस्तु से चोट आने के संबंध में स्वयं चिकित्सक ने अभिमत प्रदान नहीं किया है। कथित चोट सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होने का अभिमत प्रदान किया है। स्वयं आहत ने भी लातघूंसों से उपहित कारित होने के संबंध में कथन किया है। ऐसी दशा में चिकित्सीय अभिसाक्ष्य से भी आहत रिव को कथित सरिया से उपहित कारित होने की अभिपुष्टि नहीं हो रही है।
- 10. अन्य साक्षी पुष्पा अ०सा० 5 एवं भूपिसंह अ०सा० 6, जो कि घटना के साक्षी बताए गए हैं, वे अपने अभिसाक्ष्य में उनके समक्ष कोई भी घटना घटित होने से इंकार करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा

उन्हें पक्षविरोधी घोषित किया गया किन्तु सूचक प्रश्नों में साक्षीगण अभियोजन मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं करते हैं। संहिता की धारा 324 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु यह तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा असन, भेदन, काटने वाली या नुकीली वस्तु अथवा ऐसी वस्तु से जिसके घातक आयुध के रूप में प्रयुक्त किए जाने से मृत्यु कारित होना संभव हो, से कोई उपहित स्वेच्छा कारित की हो। प्रकरण में फरियादी रामजीलाल अ०सा० 2 ने अधिरोपित आरोप के संबंध में इंकार किया है कि आहत रिव को सरिया से नरेश द्वारा कोई चोट कारित की गयी। स्वयं आहत रिव ने भी उसे अभियुक्त नरेश द्वारा चोट पहुंचाए जाने से इंकार किया है। ऐसी दशा में अभियोजन की ओर से कोई भी सारवान साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रमाणित नहीं हैं। साथ ही प्रकरण में अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण के उपहित कारित करने की तैयारी के उपरांत आपराधिक ग्रहअतिचार कारित किए जाने के तथ्य का भी समर्थन नहीं किया है। ऐसे में खण्डन के अभाव में यदि अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होता है तो वह संहिता की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होता है, जो कि राजीनामा हो जाने से दण्डनीय नहीं हैं।

- 11. अतः अभियुक्तगणों के विरूद्ध संहिता की धारा 452, 324, 324 सहपिठत धारा 149 का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। उक्त आरोप के अधीन आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपों के संबंध में राजीनामे के प्रभाव से उक्त आरोपों के अधीन अभियुक्तगणों की दोषमुक्ति की जा चुकी है।
- 12. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की गयी उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 13. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अविध हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 14. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति डण्डे, सरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश